

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No-----

Dated-15/5/2020

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.810 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of *PWD Gopeshwar for Construction of Patalganga to Ganai-Molta Motor Road* in Chamoli district falls within jurisdiction of Darhami, Nauligwad and Ganai villages in Joshimath tehsil. It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.810 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


जिला अधिकारी
सिद्धमोहरी

(Full name and official seal of the District Collector)


प्रमाणित कर्ताधिकारी
प्रदीप वन प्रमाण गोपेश्वर
(चमोली)


जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mrs. Swati S. Bhadoria** I.A.S deputy commissioner **Chamoli** on dated 15.5.2020 at time 1.5.08 at HS in which application claiming rights in area measuring **1.810 hect** for the **Construction of Patalganga to Ganai-Molta Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Joshimath** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Dehra Dun

Dated: 15/5/2020


जिला अधिकारी
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee


प्रशासीय कर्माधिकारी
सहायक वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)


जिला समान कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गण्डाई मोल्टा तक 10 किमी. मार्ग एवं किमी. 5 पर दो (40 मी. तथा 30 मी.) एवं किमी. 8 पर दो (25 मी. एवं 20 मी.) स्पायन मोटर सेतु निर्माण हेतु 1.810 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 4.900 किमी.।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, जोशीमठ

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जोशीमठ

उपखण्ड जोशीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत पातालगंगा से गण्डाई मोल्टा तक 10 किमी. मार्ग एवं किमी. 5 पर दो (40 मी. तथा 30 मी.) एवं किमी. 8 पर दो (25 मी. एवं 20 मी.) स्पायन मोटर सेतु निर्माण हेतु 1.810 हे. वन भूमि (सिविल सोयम वन भूमि 1.810 हे.) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील- जोशीमठ) की दिनांक ~~04-03-2019~~ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री योगेन्द्र सिंह उपजिलाधिकारी ----- अध्यक्ष
- 2- श्री ~~अनुराग~~ ~~सुमन~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी ----- सदस्य
- 3- श्री खजान सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी ----- सदस्य / सचिव
- 4- श्री दलवीर सिंह बी०डी०सी० क्षेत्र ----- सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पातालगंगा से गण्डाई मोल्टा तक 10 किमी. मार्ग एवं किमी. 5 पर दो (40 मी. तथा 30 मी.) एवं किमी. 8 पर दो (25 मी. एवं 20 मी.) स्पायन मोटर सेतु निर्माण परियोजना हेतु 1.810 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

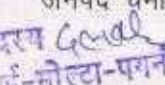
संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ----- द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जोशीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत पातालगंगा से गण्डाई मोल्टा तक 10 किमी. मार्ग एवं किमी. 5 पर दो (40 मी. तथा 30 मी.) एवं किमी. 8 पर दो (25 मी. एवं 20 मी.) स्पायन मोटर सेतु परियोजना के निर्माण हेतु 1.810 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप प्रभागीय वनाधिकारी
जनपद चमोली
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य / सचिव

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महादय चमोली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील जोशीमठ
जनपद चमोली।

सदस्य 
पं. गण्डाई-मोल्टा-पयनी
बी०डी०सी०
सदस्य

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील जोशीमठ
जनपद चमोली।

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक 10 किमी. मार्ग एवं किमी. 5 पर दो (40 मी. तथा 30 मी.) एवं किमी. 8 पर दो (25 मी. एवं 20 मी.) स्पान मोटर सेतु निर्माण हेतु 1.810 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 4.900 किमी.।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम -गणाई, तहसील- जोशीमठ, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत जोशीमठ परिक्षेत्र के पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक 10 किमी. मार्ग एवं किमी. 5 पर दो (40 मी. तथा 30 मी.) एवं किमी. 8 पर दो (25 मी. एवं 20 मी.) स्पान मोटर सेतु निर्माण हेतु 1.810 हे. वन भूमि (सिविल सोयम 1.810 हे. वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गणाई द्वारा दिनांक 08/12/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गणाई के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर

[Signature]

जनपद चमोली विकास अधिकारी
मुख्य सहित
विकास खण्ड - जोशीमठ

सदस्य G. L. Chakraborty
प. गणाई-मोल्टा-पगनी
विकास खण्ड - जोशीमठ

[Signature]

विवरण तल में
दिनांक 12/12/2018



हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुखर सहित



प्रपत्र

दिनांक 08/12/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत का नाम:- राणार्ड,

क्र.सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगदीश प्रसाद खत्री	
2	चक्रवर्ती पाल	
3	इंदीप	
4	राजेश नरेश	
5	अशोक मण्डल	
6	Sandeep Narayan	
7	गोपाल	
8	प्रमोद सिंह	
9	अपेन्द्र सिंह	
10	रघुवीर सिंह	
11	कुन्दन सिंह	
12	कुलदीप सिंह	
13	विजय मण्डल	
14	बेदी	
15	राजेश सिंह	
16	रघुवीर सिंह	
17	अशोक	
18	प्रमोद मण्डल	
19	अशोक	
20	अशोक	
21	कुनीधर	
22	बडी प्रसाद	
23	अशोक	
	केदार सिंह	

सदस्य राणार्ड
डोर पं.-गनार्ड-मोल्दा-पगनी
विक्टर खण्ड-जोशीमठ



प्रपत्र - 23.1

दिनांक 08/12/10 को ग्रामसभा गणार्द्र की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री कुन्दनसिंह फरस्वाण	कुन्दनसिंह
2	" अगतसिंह नेगी उपप्रधान गणार्द्र	अगतसिंह
3	" बिजेन्द्रसिंह नेगी	बिजेन्द्रसिंह
4	" कुलदीपसिंह नेगी	कुलदीपसिंह
5	" कल्पेन्द्र प्रसाद भजियाडी	कल्पेन्द्र
6	" दिनेश चन्द्र भजियाडी	दिनेश चन्द्र
7	" जयदीपसिंह रावत	जयदीपसिंह
8	" मोहनसिंह	मोहनसिंह
9	" मुरलीसिंह	मुरलीसिंह
10	विक्रमसिंह रावत	विक्रमसिंह
11	कुनीषचन्द्र	कुनीषचन्द्र
12	सोहनसिंह	सोहनसिंह
13	आशीष	आशीष
14	राजेंद्र रावत	राजेंद्र
15	लक्ष्मी प्रसाद	लक्ष्मी प्रसाद
16	रमेश चन्द्र भजियाडी	रमेश चन्द्र

CONFIDENTIAL

सदस्य G. S. S.
 वं. गणार्द्र-मोल्हा-पगौ
 विकास खण्ड - जोशीमठ

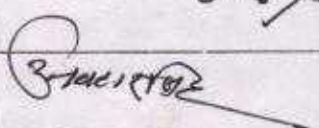


दिनांक 08/12/18 को ग्रामसभा 2101/3 की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

क्र. सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
17	श्री प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
18	श्री जगन्नाथ सिंह	जगन्नाथ सिंह
19	श्री जगन्नाथ सिंह	जगन्नाथ सिंह
20	श्री भवत सिंह	भवत सिंह
21	श्री रामचन्द्र सिंह	रामचन्द्र सिंह
22	श्री रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
23	श्री राम प्रभात सिंह	प्रभात सिंह
24	श्री जगत सिंह	जगत सिंह
25	नरैन्द्र सिंह	नरैन्द्र सिंह
26	धीरज पाण्डे	धीरज पाण्डे
27	सुखदेव सिंह	सुखदेव सिंह
28	रामगोपाल प्रसाद	रामगोपाल प्रसाद
29	दोलत सिंह	दोलत सिंह
30	संगीता देवी	संगीता देवी
31	बालवन्त सिंह	बालवन्त सिंह
32	गजेंद्र सिंह	गजेंद्र सिंह



दिनांक 08/12/18 को ग्रामसभा 22.07/18 की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
33	प्रेम सिंह	
34	दशमान सिंह	
35	तारे प्रसाद	नारद
36	दिलवर सिंह	
37	नीरज सिंह	
38	जयानन्द मजिपडी	Kingji
39	भरत सिंह	जयानन्द मजिपडी
40	राजेश्वर सिंह	भरत सिंह
41	प्रभात सिंह पवार	राजेश्वर सिंह
42	विमला देवी	
43	अनवर सिंह	विमला देवी
44	दिवाकर प्रसाद	
45	बद्री प्रसाद	अनवर सिंह
46	बशीर मजिपडी	दिवाकर
47	सीता देवी	बद्री प्रसाद
48	शंकर सिंह	बशीर मजिपडी
		सीता देवी
		